Email:-np_ntd@yahoo.in
Phone:-02953-233526

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)

क्रमांक / न.पा.नाथ / भूमि / 2022 / 1198 / दिनांक :– 18-5-2022

ऑनलाईन निलामी सूचना

E-Auction program of commercial plots in nagar palika nathdwara, April 2022

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका नाथद्वारा द्वारा पालिका क्षेत्र 120 फिट रोड़ शिव मुर्ति के पास आवासीय व्यवसायिक योजना में होटल प्रयोजनार्थ की जहाँ है जैसा है, के अनुसार 99 वर्षीय लीज होल्ड पर भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत् भुखण्डों की भव्य ऑन लाईन निलामी (ई–ऑक्शन) के आधार पर बोली आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त भुखण्ड सारणी अनुसार निर्धारित दिनांक को प्रातः 10:00 से सायं 06:00 बजे तक पालिका की वेगसाईट https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-palika-nathdwara/en/home.html और, https://npn.procure247.com /home पर लगाई जा सकती हैं।

अमानत राशि जमा कराने / निलामी बोली प्रारंभ की दिनांक :– 01.06.2022
अमानत राशि जमा करवाने की अंतिम दिनांक :– 29.06.2022
निमाली बोली की अंतिम दिनांक :– 30.06.2022

क.स.	नाम योजना	भुखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग फिट में)	न्युन्तम बोली दर	अमानत राशि (2%)
1.	गणेश टेकरी	होटल भुखण्ड (A)	45900Sq Feet	4100/Sq. feet	37,63,800

निलामी शर्ते :–

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति / फर्म को ई–ऑक्शन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए नीलामी से पुर्व मात्र 2 प्रतिशत अमानत राशि (EMD) जमा करवानी होगी। उक्त धरोहर राशि जो बोली समाप्ती के पश्चात् सफल बोली दाता की राशि छोड़कर शेष बोलीदाताओं को पुनः लोटा दि जावेगी। उक्त राशि पालिका संख्या 50200060718981 IFSC code:- HDFC0004256 में जमा होगी। उक्त राशि जमा पश्चात् HDFC बैंक द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार सम्बन्धित फर्म / व्यक्ति बोलीदाता उक्त निलामी हेतु निर्मित पोर्टल पर पुर्तियाँ पुर्ण कर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकता हैं।
2. E-Auction द्वारा निलाम किये जाने वाले भूखण्ड का नाप मौका अनुसार घट–बढ़ सकता हैं।
3. सफल बोलीदाता की बोली स्वीकृत किये जाने कि दशा में पुर्व में जमा 02 प्रतिशत राशि को जमा मानते हुए 03 कार्य दिवस में नगरपालिका नाथद्वारा के खाते में कुल बोली (क्षेत्रफल X स्वीकृत बोली) का 15 प्रतिशत (पुर्व जमा अमानत को समायोजित) राशि RTGS/NEFT द्वारा जमा करवानी होगी। एवं राशि जमा की सूचना निलामी प्रकोष्ठ में देनी होगी। सफल बोली दाता द्वारा निर्धारित अवधि 03 दिवस में जमा नहीं करवाने पर अमानत राशि जब्त कर भूखण्ड की निलामी निरस्त कर दि जावेगी।
4. सफल बोली दाता को बिड राशि का 35 प्रतिशत निलामी की दिनांक से 240 दिवस की अवधि में जमा करवानी होगी। यदि बिडर 240 दिवस में राशि जमा कराने में असफल रहता हैं तो आगामी 60 दिवस अथा बढ़ाई गई अवधि तक शेष बकाया राशि 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित जमा करवा सकता हैं। ब्याज की गणना नीलामी तिथि से होगी।

19/5/2022

अध्यक्ष
नगरपालिका, ...

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

5. सफल बोली दाता को बोली राशि का शेष 50 प्रतिशत निलामी दिनांक से 360 दिवस की अवधि में जमा करवानी होगी। यदि बोलीदाता 360 दिवस में 50 प्रतिशत राशि जमा करवाने में अफल रहता हैं तो अगामी 90 दिवस में शेष बकाया 15 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा करवा सकता हैं। ब्याज की गणना निलामी तिथि से होगी।
6. बढ़ाई गई अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर पुर्व में जमा 15 प्रतिशत जब्त हो जायेगी एवं भुखण्ड की निलामी निरस्त हो जावेगी।
7. सफल बोलीदाता द्वारा पालिका से जारी मांग पत्र की दिनांक से 15 दिवस में भूखण्ड की सम्पुर्ण राशि जमा करवायी जाती हैं तो वह बीड राशि की 02 प्रतिशत छुट पाने का अधिकारी होगा।
8. बोलीदाता को पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति पालिका में जमा करवानी होगी।
9. बोली 100 रूपये के गुणक में स्वीकार होगी।
10. निलाम किये जाने वाला भुखण्ड 99 वर्ष की शहरी जमाबन्दी के आधार पर विक्रय होंगे। लीज राशि व्यवसायिक भूखण्ड हेतु आरक्षित दर के 05 प्रतिशत की दर से तथा आवासीय संस्थानिक व ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों पर 2.5 प्रतिशत की दर से वसुलनीय होगी। यदि बोलादाता द्वारा कय भूखण्ड के चालु वर्ष के साथ अग्रीम 10 वर्ष की लीज एक मुस्त जमा करवायी जाती है तो उक्त भूखण्ड का फ्री–होल्ड पट्टा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. निलामी बोली निरस्त करने तथा निलामी अवधि बढ़ाने का अधिकार पालिका के पास सुरक्षित है।
12. निलामी की बोली उस समय तक अस्थाई होगी। जब तक सक्षम अधिकारी उसे स्वीकार न कर दे बोली अस्वीकार किये जाने पर जमाशुदा 1/4 जमा राशि वापस लौटा दी जावेगी।
13. आवासीय/व्यवसायिक भुखण्ड की रजिस्ट्री सफल बोलीदाता को स्वयं करवानी होगी तथा नीलामी में केता द्वारा खरीद किये भूखण्ड पर यदि निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता हैं तो 03 वर्ष की अवधि तक जिस भूखण्ड का आकार 1000 वर्ग मीटर तक हो, 05 वर्ष की अवधि तक जिस भूखण्ड का आकार 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक हो, 07 वर्ष की अवधि तक जिस भूखण्ड का आकार 5000 वर्ग मीटर तक हो, उन प्रकरणों में भूखण्ड का पजेशन/अधिकार प्राप्त करने की दिनांक से लेवी राशि का भुगतान 01 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष हेतु वर्तमान आरक्षित की दर से संबंधित प्राधिकरण को 03 वर्ष तक करना होगा। जब तक की केता द्वारा अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करवा लिया गया हो। अन्यथा भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जावेगी।
14. अन्य सभी राजकीय नियमों आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) की पालना खरीददार को करना होगी तथा भविष्य में इस बाबत् कोई नियम बनाये जावेंगे तो वह व्यवसायिक भूखण्ड पर लागु होंगे।
15. निलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगरपालिका नाथद्वारा में निहित होगा, जो समस्त बोलीदाताओं को मान्य होगा।
16. अन्य जानकारी कार्यालय अथवा पालिका की वेबासाईटपर किसी भी कार्य दिवस में देखी या प्राप्त की जा सकती है।
17. उक्त निलामी हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सभी लाभ/छुट देय होगी।

(मनीष राठी)
अध्यक्ष
नगरपालिका, नाथद्वारा

19/5/2021
(कौशल कुमार खटूमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

दुरमाष नम्बर :– 02953–233526,
मोबाईल नम्बर :– 7014042714, 8003448227

क्रमांक/न.पा.नाथ/भूमि/2022/ 11982-11989 दिनांक :- 18-5-2022

प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द।
2. श्रीमान उपनिदेशक महोदय (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
3. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका, नाथद्वारा।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा।
5. सहायक अभियंता नपा नाथद्वारा को भेजकर लेख है कि भूखण्डों का मौके पर डिमार्केशन कर प्रस्तुत करें तथा निलामी के वक्त मौके पर उपस्थित रहें।
6. श्री हरीश सैन सहायक प्रोग्रामर नगर पालिका नाथद्वारा को आदेशित किया जाता है उक्त सूचना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करे।
7. प्रबन्ध *निदेशक राजस्थान संवाद सूचना एंव जन सम्पर्क* विभाग परिसर शासन सचिवलय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त ऑक्शन सूचना का प्रकाशन
   1. आगामी 2 राज्यस्तरीय समाचार पत्रो में सम्पूर्ण राज्य अंक में एंव
   2. 1 केन्दीयस्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें। एवं बिल 3 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
8. श्री ताराचन्द स्वाथ्य निरिक्षक नगर पालिका नाथद्वारा को नगर के मुख्य स्थाना/राजकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

19/5/2022

(कौशल कुमार खटूमरा)
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा